अनुदान संख्या 29 - पूर्वोत्तर क्षेत्रा विकास मंत्रालय
GRANT No. 29–MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1040,17,00	1129,92,00	1104,89,65	–25,02,35
पूरक	Supplementary	89,75,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				22,87,99
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	58,56,00	80,89,00	80,77,75	–11,25
पूरक	Supplementary	22,33,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (2502.35 लाख रु.) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 8975.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 28 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2502.35 lakhs) constituted 28 percent of the supplementary grant of Rs.8975.00 lakhs obtained in March, 2006 and 2 percent of the total sanctioned provision

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2250'' अन्य सामाजिक सेवाएं	Major Head "2250" Other Social Services				
मू.	O.	1740.00	1300.00	1262.70	–37.30
पु.	R.	–440.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	11000.00	11680.00	11543.23	–136.77
पु.	R.	680.00			
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	2235.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–2235.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	88150.00	96887.00	96886.82	–0.18
पू.	S.	8975.00			
पु.	R.	–238.00			

(I) 2235.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 2233.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं- अन्य व्यय -सार्वजनिक उद्यमों में निवेश" के अंतर्गत वित्त मंत्राालय की टिप्पणियों के आधार पर मुख्य शीर्ष "6885" के अंतर्गत एनईडीएफएल को ब्याज मुक्त आसान कर्ज का पुन:वर्गीकरण किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.2235.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.2233.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2885" - "Industrial Financial Institutions - Other Expenditure - Investment in Public Enterprises" - due to re-classification of interest free soft loans to NEDFL under Major Head "6885" based on comments of the Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष "2250" - "अन्य व्यय - तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण" के अंतर्गत 447.82 लाख रु. की बचत (1240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत निधीयन के लिए संस्थाओं/संगठनों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने/विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2250" - "Other Expenditure - Technical Assistance and Capacity Building"- saving of Rs.447.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1240.00 lakhs) was due to non/late receipt of viable proposals from Institutions/Organisations for funding under the scheme.

(III) मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय - टेलीमेडिसिन सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रा में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और संबंधित सेवाएं'' के अंतर्गत 170.06 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) Under Major Head "2552" - "Other Expenditure - IT Applications and related services in NER including Telemedicine" - saving of Rs.170.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs); and

(IV) मुख्य शीर्ष "3601'' - "विशेष योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें - विशेष विकास परियोजनाएं'' के अंतर्गत 680.18 लाख रु. की बचत (29650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(IV) Under Major Head "3601"- "Grants for Special Plan Schemes-Schemes of North Eastern Council-Special Development Projects"- saving of Rs.680.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.29650.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें एनईसी की वार्षिक योजना के अंतर्गत स्थिर परिव्यय होने और इस प्रकार एनईसी की स्वीकृत स्कीमों पर प्रतिबद्ध देयताओं पर व्यय को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान कराए जाने को प्राथमिकता प्रदान किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to stagnant outlay under NEC's Annual Plans and hence prioritisation for providing funds for meeting expenditure on committed liabilities of sanctioned schemes of NEC.

(V) तीन शीर्षों के अंतर्गत 209.92 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 31 प्रतिशत तक थीं।

(V) Under three heads savings of Rs.209.92 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 15 percent to 31 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (442.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3601'' - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - पूर्वोत्तर क्षेत्रा के विकास के संबंध में संसाधनों के केंद्रीय पूल के लिए केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 8975.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.442.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.8975.00 lakhs under Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Block Grants - Central Assistance for the Central Resource Pool for Development of North Eastern Region."

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2552"- "Other Expenditure" - under the following heads:-

(का) "अन्य विविध मदें''- 396.04 लाख रु. का अधिक व्यय (4635.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा से संबंधित नए प्रस्तावों/स्कीमों और **विज़न मिशन** 2020 कार्यक्रम के संबंध में राज्यों की मांगों को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(A) "Other Miscellaneous Items" - excess of Rs.396.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4635.00 lakhs) was due to more demands from States for new proposals/schemes and VISION MISSION 2020 programme of North Eastern Region.

(खा) "पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय में परियोजना आयोजना तथा अनुवीक्षण कक्ष की स्थापना''- 137.58 लाख रु. का

(B) "Setting up of Project Planning and Monitoring Cell in NEC Secretariat" - excess of Rs.137.58 lakhs (against the sanctioned provision

अधिक व्यय (130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(गा) ''पूर्वोत्तर क्षेत्रा में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा कार्यक्रम''- 164.57 लाख रु. का अधिक व्यय (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा कार्यक्रम के तहत अधिक स्कूलों एवं महाविद्यालयों को लेने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, दो उप-शीर्षों के अंतर्गत 326.15 लाख रु. के अधिक व्यय की तुलना में चार उप-शीर्षों के अंतर्गत 337.40 लाख रु. की बचतें हुईं जिसके परिणामस्वरूप 11.25 लाख रु. की कुल बचतें हुईं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

of Rs.130.00 lakhs) was due to meet the committed liabilities.

(C) "Information Technology Education Programme in NER"- excess of Rs.164.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to covering of more schools and colleges under IT Education Programme.

(III) Under one head excess of Rs.100.00 lakhs occurred constituting 40 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings of Rs.337.40 lakhs occurred under four sub-heads against excess of Rs.326.15 lakhs under two sub-heads resulting in overall savings of Rs.11.25 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas	5500.00	5488.75	–11.25

(I) ''सड़कें एवं सेतु - सीमा सड़क संगठन के माध्यम से आर्थिक महत्व/अंतर्राज्यीय सड़कों का निर्माण/सुधार'' के अंतर्गत 200.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मणिपुर के विद्रोह प्रवण क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 55.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थी।

(I) Under "Roads and Bridges - Construction/ Improvement of Road of Economic Importance/ Interstate Roads to be executed through the Border Roads Organisation" - saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to less utilisation of funds by Border Roads Organisation in insurgency prone areas of Manipur.

(II) Under one head saving of Rs.55.00 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर परिषद स्टाफ के लिए आवास/पूर्वोत्तर परिषद अतिथि ग्रृह'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 246.15 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 80.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 80 प्रशिशत था।

4.(I) The above savings were partly offset by excess under "Other Expenditure - Housing for North Eastern Council Staff/North Eastern Council Guest House" - excess of Rs.246.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to meet the committed liability.

(II) Under one head excess of Rs.80.00 lakhs occurred constituting 80 percent of the sanctioned provision.